बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक— 6B / वि0-10143 / 2019 4556

प्रेषक:— दया शंकर मिश्र,
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार।
सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार।

पटना, दिनांक— 16/9/19

विषय— **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) कार्यक्रम अन्तर्गत आर्सेनिक / फ्लोराईड / लौह ट्रीटमेंट प्लांट के डिजाईन एवं ड्राईग के अनुमोदन से संबंधित दिशा निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत है कि 'हर घर नल का जल' योजना के तहत विभिन्न श्रोतों से गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही जलापूर्ति योजनाओं में प्रयुक्त होने वाले आर्सेनिक / फ्लोराईड / लौह ट्रीटमेंट प्लांट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन योजना का एक अति महत्वपूर्ण अवयव है तथा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इसके डिजाईन एवं ड्राईग का अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना अन्तर्गत क्रियान्वित रू0 2.00 करोड़ तक के पैकेज की वार्डवार जलापूर्ति योजनाओं के लिये माह जून 2019 से लागू अद्यतन संशोधित Model Bidding Document के Section-5 (Special Condition of Contract) कंडिका—1.0 के पारा—3 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आर्सेनिक / फ्लोराईड / लौह ट्रीटमेंट प्लांट के डिजाईन एवं ड्राईग के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित कार्यपालक अभियंता है, परन्तु एक माह के अंदर इसकी सम्पुष्टि संबंधित अधीक्षण अभियंता से अनिवार्य है।

माह जून 2019 के पूर्व के Standard Bidding Document के अधार पर आमंत्रित निविदा अन्तर्गत आर्सेनिक / फ्लोराईड / लौह ट्रीटमेंट प्लांट के डिजाईन एवं ड्राईग के अनुमोदन पूर्ववत किया जायेगा।

अतः वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संवेदक द्वारा समर्पित इसके डिजाईन एवं ड्राईग के अनुमोदन हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते है:—

(क) रू0 2.00 करोड़ तक के पैकेज की वार्डवार जलापूर्ति योजनाओं के लिये Model Bidding Document के Section-5 (Special Condition of Contract) की कंडिका—1.2 की सब कंडिका 9 में वर्णित प्रावधान के आलोक में संवेदक को LOA निर्गत होने के पश्चात् एवं डिजाईन एवं ड्राईग समर्पित करने के पूर्व संवेदक द्वारा CSIR की Technology या CSIR/ भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा प्रमाणित Technology वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माताओं के साथ किये गये MOU समर्पित करना अनिवार्य है।

(ख) डिजाईन एवं ड्राईग के अनुमोदन हेतु समर्पित अभिलेख में प्रयुक्त किये जाने वाले ट्रीटमेंट टेक्नोलोजी की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होना चाहिये।

(ग) वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न Vessels के आकार तथा इसमें उपयोग किये जाने वाले Media की मात्रा का Design Calculation होना अनिवार्य है।

(घ) वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न Vessels, पाईपिंग तथा विभिन्न प्रकार के Valves का Schematic Diagram होना अनिवार्य है।

130

(च) ट्रीटमेंट प्लांट के विभिन्न Vessels का बैकवास का अंतराल, Media का Regeneration की अवधि (यदि आवश्यक हो तो) Media का प्रकार एवं Life आदि की विवरणी प्राप्त करना अनिवार्य है।

(छ) वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न Vessels का Vertical Cross Section जिसमें प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के मिडिया का नाम एवं उसकी मात्रा/ऊँचाई अंकित हो। साथ ही Vessels का आकार, एवं Vessels के Wall की मोटाई भी अंकित होना चाहिये।

(ज) वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का Operation & Maintenance Protocol तथा Reject Management Protocol भी संवेदक द्वारा डिजाईन एवं ड्राईंग के अनुमोदन हेतु समर्पित करना आवश्यक है।

उपर्युक्त निदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही संवेदकों को भी उपर्युक्त जानकारी उपलब्ध करा दी जाये ताकि वे ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माताओं से ट्रीटमेंट प्लांट के डिजाईन एवं ड्राईंग के अनुमोदन हेतु उपर्युक्त आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। अन्य कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में भी उपर्युक्त कंडिका-ख से कंडिका-ज तक के प्रावधान/निदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

विश्वासभाजन,

(दया शंकर मिश्र) 16/9/19

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांकः-6B/वि0-10143/2019 4556 / पटना, दिनांक- 16/9/19

प्रतिलिपिः-गुख्य अभियंता (मा0)/मुख्य अभियंता (रू0)/अधीक्षण अभियंता (गो0)/कार्यपालक अभियंता (गो0-1)/कार्यपालक अभियंता (गो0-2)/उप निदेशक (मू0)/उप निदेशक (अन्वेषण)/कार्यपालक अभियंता (गो0/मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(दया शंकर मिश्र) 16/9/19

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांकः-6B/वि0-10143/2019 4556 / पटना, दिनांक 16/9/19

प्रतिलिपिः-सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

(दया शंकर मिश्र) 16/9/19

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

131

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–6ए/वि01–1079/2017– 2875 दिनांक– 16/12/2020

प्रेषक:–

ई–मेल

दयाशंकर मिश्र,

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता।

सभी अधीक्षण अभियंता।

सभी कार्यपालक अभियंता।

विषय:–सौर ऊर्जा चालित विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना को निर्बाध रूप से चालू रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दस वर्ष पूर्व विद्युत अनुपलब्धता के आलोक में सौर ऊर्जा चालित ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी गयी है।

सरकार के निश्चय "हर घर नल का जल" के आलोक में जाड़े के मौसम एवं आकाश में बादल छाये रहने की स्थिति में सौर ऊर्जा चालित विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं से नियमित रूप से जलापूर्ति में कठिनाई उत्पन्न होती है।

उल्लेखनीय है कि अब राज्य के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है। अतएव वैसी जलापूर्त्ति योजनाएँ जो अभी सौर ऊर्जा चालित आधारित है, उनमें विद्युत संयोजन लिये जाने की आवश्यकता है ताकि सालों भर नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पेयजलापूर्त्ति हो सके।

अतः निदेश है कि सौर ऊर्जा चालित विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विद्युत संयोजन कराते हुए एक माह के अंदर विद्युत से भी जलापूर्ति की व्यवस्था की जाए ताकि नियमित जलापूर्ति में कोई व्यवधान उपलब्ध नहीं हो। योजनाओ का संचालन सामान्य दिनों में सौर ऊर्जा से ही किया जायेगा।

इसे अतिआवश्यक समझें।

विश्वासभाजन

(दयाशंकर मिश्र) 16/12/2020

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 2875 पटना/दिनांक– 16/12/2020

प्रतिलिपि– सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दयाशंकर मिश्र) 2020

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

Letter 2019-20